न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–29 / 2014

अनिल कुमार पासवान बगैरह बनाम सुरेश पासवान बगैरह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
05.08.15	**आदेश** अनिल कुमार पासवान पे0–जय नारायण पासवान, 02.रामजतन पासवान पे0–स्व0 विद्या पासवान तथा 03.उपेंन्द्र यादव, 04.लालो यादव व सुरो यादव सभी पेसरान–स्व0 चलितर यादव, ग्राम–शहरबन्नी, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया ने 01.सुरेश पासवान पे0–रामजी पासवान, व टिकावती देवी पति–स्व0 सुकुमार पासवान, दोनों ग्राम–शहरबन्नी, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया, 03.पूजा देवी पति अरूण कुमार पासवान, ग्राम–बेला, थाना–गंगौर, जिला–खगड़िया, 04.फूलकुमारी देवी पति संदीप पासवान, ग्राम–मेघौना, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया को विपक्षी बनाते हुए यह वाद लाया है। आवेदक का कहना है कि मौजा–शहरबन्नी, खाता–359, खेसरा 946, रकवा–09कट्ठा 17धूर खतियान में बेलगान दर्ज था, जिसकी जमाबंदी न तो भूतपूर्व जमींदार और न ही बिहार सरकार के सिरिस्ता में कभी कायम हुआ है। खाता–359 खतियान में रंगु मरर, बैजु मरार, जीरलाल मरर सभी पेसरान–राम मरर एवं अमृत मरर के नाम दर्ज है तथा खेसरा–946 मकान मैयसहन बेलगान दर्ज है। अपने अर्जी में अवेदकगण ने राम मरर एवं अमृत मरर का वंशावली भी दिया है। आवेदक अनिल कुमार पासवान ने खेसरा–946 का 16धूर 13धूरकी जमीन मीरा देवी पति स्व0 रामेश्वर चौधरी से दिनांक 10.04.2013 को निबंधित केवाला द्वारा खरीद की तथा उसपर दखलकार हुए। तत्पश्चात सभी आवेदकगण ने संयुक्त रूप से विवादित खेसरा–946 से 01कट्ठा 04धूर 12½धूरकी जमीन रामरती देवी उर्फ मोमबत्ती देवी एवं हीरा देवी उभय पुत्री स्व0 रामरूवरूप चौधरी से दिनांक 01.08.2013 को निबंधित केवाला द्वारा खरीद की है। आवेदकगण का आगे कहना है कि 01.सुलैना देवी पति सुरेश पासवान तथा सुकुमार पासवान पे0–स्व0 केशो पासवान ने विवादित खेसरा 946 का एक विक्रय पत्र जाल–फरेबी कर ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया, जिसका कोई उक्त भूमि पर स्वत्व नहीं था और इस बात को जानते हुए इस विक्रय पत्र की बात को छुपाकर रखी। सुलैना देवी 1999–2000 में मृत हो गयी। आवेदक आगे बताते है कि एक मृत व्यक्ति सुलैना देवी के नाम से नामांतरण वाद संख्या–1324 / 2006–07 एवं 1327 / 2006–07 विपक्षीगण ने लाया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने षययंत्र कर विवादित भूमि पर सुलैना देवी का दखल कब्जा दिखाते हुए तथा खेसरा 946 का जमाबंदी संख्या–01 बताते हुए जमाबंदी रैयत बाधो मंडल के नाम कायम बताते हुए अंचल अधिकारी के नामांतरण वाद स्वीकृत करने हेतु मृत व्यक्ति के पक्ष में अनुशंसा कर दी। इसके अलावे सुकुमार पासवान के नाम से भी एक नामांतरण वाद संख्या–1342 / 2006–07 विपक्षीगण ने लाया और खेसरा–946 का जमाबंदी संख्या–01 बाधो मंडल के नाम से बताया।	

28/8/15
Time- 3:00 PM

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

इस प्रकार विपक्षीकण ने सुलैना देवी के नाम से जमाबंदी संख्या–2417 एवं सुकुमार पासवान के नाम से जमाबंदी संख्या–2416 क्रमशः कायम करवाने में सफल हो गये, जिसमें विवादित खेसरा–946 सन्निहित है। विपक्षीगण आवेदकगण द्वारा खरीदी हुयी जमीन पर दावा कर रहे है, जिससे वहाँ शांति भंग होने की आशंका बन गयी है।

विपक्षीगण जो सुलैना देवी एवं सुकुमार पासवान के वंशज है के माध्यम से ही उन्हें पता चला कि विपक्षीगण ने जाल–फरेब्री कर सुलैना देवी एवं सुकुमार पासवान के नाम से जमाबंदी कायम करा ली है।

आवेदकगण ने नामांतरण वाद संख्या–1324 / 2006–07, 1327 / 2006–07 एवं 1342 / 2006–07 से कायम जमाबंदी संख्या–2416 एवं 2417 को रद्द करने का अनुरोध किया है।

विपक्षीगण प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा है कि यह वाद दाखिल खारिज अधिनियम के अंतर्गत आता है। जमाबंदी रद्दीकरण के अंतर्गत नहीं, इसलिए यह खारिज योग्य है, परन्तु आज तक आवेदकगण ने कहीं अपील आवेदन नहीं दिया है। खरीददार माया देवी इस वाद में आवेदक भी नहीं है, जिसकारण यह वाद खारिज योग्य है। जिन नामांतरण वाद संख्या से जिन व्यक्तियों का नाम जमाबंदी कायम हुआ है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। इनका कहना है कि विपक्षीगण विवादित जमीन खरीदकर उस पर दखलकार है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना तथा पक्षकार द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 के तहत वैसी जमाबंदी को रद्द करने का प्रावधान किया गया है, जो वर्त्तमान में लागु किसी विधि के उल्लघंन में अथवा इस निमित्त किसी कार्यपालक निदेश के अति उल्लघंन में सृजित की गयी हो। संबंधित मामले में अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, अलौली के नामांतरण वाद संख्या–1324 / 2006–07, 1327 / 2006–07 एवं 1342 / 2006–07 में पारित आदेश में ऐसा कोई विधि का उल्लघंन या कार्यपालक निदेश का अति उल्लघंन का मामला नहीं बनता प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण का आवेदन बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए उनका आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति जिला के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

12/5/2015
अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

12/5/2015
अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

(हस्तलिखित टिप्पणी:) ज्ञा० सं० – 314 / दिनांक – 28.8.2015
प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– N.I.C., खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
अपर समाहर्त्ता

(मुहर:) अपर समाहर्त्ता, खगड़िया